अध्यक्ष महोदय : मगर आप न कहते तो मैं न यह बताता।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वे सदन की नेत्री हैं, सदन में आकर बताना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : रोज बयान देते हैं, आज कोई नई बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFIARS SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTTA SINGH : I do not agree with what the hon. Members opposite say. The Prime Minister has shown the utmost respect to this House. Even stories which are baseless, without any foundation, find their place in the Press and they get reflected here. She has taken care to write to you that this is not correct. What is correct, she has said.

M.R. SPEAKER : Shri Rasheed Masood.

(Interruptions)

(SHRI RATANSINH RAJDA : Sir, will you kindly convey the feel ings of the House to the Prime Minister ?

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Rasheed Masood.

———

12.31 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported extensive damage to crops due to cold wave, rains and hailstorm.

SHRI RASHEED MASOOD (Saharanpur) : I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon ;

"The reported extensive damage to crops due to cold wave, rains and hailstorm particularly in the Northern Region of the country and the steps taken by the Government in the matter."

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : According to the information made available by India Meteorology Department, total rainfall during the period Ist March to 18th April, 1984, was deficient or scanty, particularly in the whole of North India. except Jammu and Kashmir where it was normal. An active western disturbance moved across north-west India causing scattered to fairly widespread thunder showers over Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Haryana and the Union Territoy of Delhi during the period 19th to 23rd April 1984. Isolated rainfall also accurred over the remaining areas of North India during the same period. As reported by the Government of Haryana so far six villages in Gurgaon district and three villages in Sirsa district were affect by recent hailstorm covering an area of about 500 acres in Sirsa district. The information with regard to other areas affected is being collected by the Sstate Government. The Punjab Government and the Union Territory of Delhi have informed us that they are collecting the information with regard to demages caused by rains and hailstorm, if any. So far no information about damages has reached the State headquarters. However, the Punjab Government has informed this morning that 28 villages in Fazilka area were affected by hailstorm on the 20th April.

No report of any damage by hailstorm of rain has so far been received from any State/Union Territory.

Crops are reported to have been damaged on account of cold wave in the districts of Saharanpur, Allahabad, Kanpur (rural) and Barabanki in Uttar Pradesh. The details about loss to crop are being assessed. Crop damage has been reported from the districts of Bhiwani, Mahendragarh, Jind,

(Rao Birendra Singh)

Rohtak, Sirsa and Hissar in Haryana. Final assessment of loss is being made by the State Government. There is no report of any damage to crop from the States of Himachal Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir and the Union Territory of Chandigarh and Delhi on account of cold-wave.

The new financial year has just begun and all the States have the margin money available with them to take up any relief measures whether they are called for.

I wish to assure the House that suitable steps for relief and rehabilitation would be taken on receipt of any detailed report about damages etc. from the affected States.

MR. SPEAKER : Shri Rasheed Masood.

श्री रसीद मसूद : मुहतरम स्पीकर साहब, मन्त्री जी का बयान पढ़ने से ऐसा महसूस होता है जैसा कि इस मुल्क में कोई सरकार है ही नहीं। सन् 1980 में यह सरकार वायदा करके आई थी कि यह वह सरकार होगी **दी गवर्नमेंट देट वर्क्स** लेकिन इस बयान को देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार कोई काम नहीं करना चाहती हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुचे हैं कि इसमें कोई इन्फार्मेशन **कनवे** नहीं की गई है और इसका रीजन यह है कि स्टेटस से इन्फार्मेशन नहीं आई है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से जिन स्टेट्स के बारे में यह कालिंग एटेशन हैं, जम्मू व स्टेट् को छोड़ेकर, उन सभी स्टेट्स में उस पार्टी की सरकारें हैं, जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में है। लेकिन कालिंग अटेशन मंजूर हो गया, एडमिट हो गया और उसका जवाब देने के लिए भी मन्त्री जी यहां चले आये। मगर कोई इन्फार्मेशन कलेक्ट उन्होंने नहीं की, अधूरा जवाब लेकर चले आए।

मैं यह नहीं कहता कि जिन लोगों के मुताल्लिक यह कालिंग एटेंशन है उन लोगों से आपकी बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वे लोग हैं जो उस गर्मी में खेतों पर काम करते हैं जबकि दिल्ली कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों के लोग घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं। ये लोग खुली और कड़ाके की धूप में खड़े होकर फसल काटते हैं, फसल बोते हैं। ये लोग उस बरसात में धान की बुवाई करते हैं जबकि सरकार के अन्दर के लोग घरों से बाहर निकलना पसन्द नहीं करते। ऐसा लगता है कि इन लोगों मे सरकार की इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि ये लोग इलेक्शन फण्ड में मदद नहीं कर सकते हैं, ये लोग किसी दूसरे तरीके से भी सरकार की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी आवाज पार्लियामेंट तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती जब सर्दी में आप लोग हीटर लगाकर अपने कमरों में बैठे रहते हैं, ये लोग उस सर्दी में खेतों में जाकर काम करते है और सब लोगों के लिए गेहूँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। सर्दी के दिन गेहूँ की बुवाई के दिन होते हैं और किसान लोग खुले खेत में खड़े होकर मुल्क के लोगों के लिए गेहूं पैदा करता है।

मन्त्री जी, इन लोगों को कोई तकलीफ आये, कोई दुःख-दर्द आये, कोई परेशानी आये, आप इनके बारे में इन्फार्मेशन केलेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको इस सेक्टर के लोगों से दिलचस्पी नहीं है हालांकि आप भी उसी सेक्टर के हैं। मैं आपको दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के एक एक्जीक्युटिव कौंसलर के बयान के बारे में बताता हूं। उस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि उनको तो यह जानकारी हो गई लेकिन मन्त्री जी को उसके बारे में अब

तक कोई इन्फार्मेशन नहीं आई। पता नहीं मन्त्री जी को इसके बारे में क्यों इत्तिला नहीं आई। जो ओला पडा, बारिस हुई और और हवा चली उससे किस कदर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और उससे दे परेशान हैं, यह में एक्जीक्युटिव कौंसलर के बयान से पढ़ कर सुनाता हूं।

"Executive Councillor, Prem Singh, admitted that the damage to the crop has been extensive. He has ordered District Magistrate, R. S. Sethi, to ruhs revenue officials to the areas to assess the damages."

आपकी ही पार्टी के वे एक्जीक्युटिव कौंसलर हैं और उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को इंकवायरी करने के लिए भेज दिया और इसकी आपको इत्तिला तक नहीं हुई कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं। वहां पर टेम्परेरी तौर पर कर्जों की वसूली सस्पैंड कर दी गई है। जब आपको यहांकी ही इत्तिला नहीं है तो जो दूर दराज किसान रहते हैं, उनकी परेशानी के बारे में आपको क्या इत्तिला होगी। यह बहुत अफसोसनाक हालत है। इसलिए अफसोसनाक हालत है कि हमारे मोत्तरिम वजीर साहब उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी तकलीफ और दुःख को लेकर हम यहां पर यह बात कर रहे हैं।

मौत्तरिम वजीर साहब को या तो इन बातों का पता नहीं है, या से बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गुड़गांवा के 6 विलेजिज में और सिरसा के 3 विलेजिज में यह नुकसान हुआ हैं। यह नुकसान इन विलेजिज में ही नहीं बल्कि मुल्क के हाजारों-हजारों विलेजिज में हुआ है। खेतों में जहां खड़ा था, उनमें पानी भर गया। जिन जगहों पर पानी भर जाता है उन जगहों पर गेहूं काला हो जाता है और खराब हो जाता है। वह काला गेहूँ जब किसान आपके सेन्टर्स पर देकर जाता है तो उसे वहां बड़ी परेशानी उठानी पढ़ती है। इतना हल आप नहीं निकाल सके हैं। पिछले साल आपने अपने स्टैंडर्ड को लोअर किया था। लेकिन स्टैंडर्ड को लोअर करने के बाद भी हकीकत यह है कि उससे किसान को कोई राहत नहीं मिली है। आपके लोअर स्पेसिफिकेशन करने के बावजूद भी आपके सेन्टर वाले उसके गल्ले को खरीदने से इंकार कर देते हैं। जब तक इन्सपेक्टर को पैसा नहीं दिया जाता, वह उस गेहूं को पास नहीं करता। आप इसकी क्या व्यवस्था करेंगे, इसका क्या इंतजाम करेंगे ? जो गेंहूं खालिहानों में कटा हुआ पड़ा है, काला हो गया है, खराब हो गया है, उसकी बजह से आज किसान परेशान है। यह बात आज ही नहीं हुई है, पिछले साल भी मैंने इस मसले को उठाया था। मैंने खुद सेन्टर्स में जा कर इस चीज को देखा और कई सेन्टरों में किसानों ने मुझसे शिकायतें भी कीं। मैंने उन शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट मजिट्रेट सहानपुर के पास भी भेजा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर को शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ यह हुआ कि जिस दिन चैकिंग हुई, उस दिन जो अनाज लाए थे, वह ले लिया गया। अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों का मकसद क्या है जो हम पार्लियामेंट और असेंबलीज में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि ज्यादातर चीजें स्टेट् गर्नमेंट के अधीन आती है। लेकिन वहां भी तो आपकी पार्टी की सरकारें हैं। आप वहां अजर अंदाज हो सकते हैं। आप कह सकते हैं। कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कटी हुई फसल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। खड़ी फसल को भी आंधी से नुकसान

(श्री रसीद मसूद)

हुआ है। बालों के टूटने से नुकसान हुआ है। आपके कहने के अनुसार कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि आपको कौन आंकड़े देता है। कौन सी एजेन्सी आपको आंकड़े सप्लाई करती है जिसके तहत मुल्क का पेट भरने वाले किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है। उसकी तकलीफ का आपको कोई अहसास नहीं होता है। जब अहसास नहीं होता है तो हमलोगों को गुस्सा आता है और कर तो हम कुछ नहीं पाते हैं कालिंग अटेंशन देते हैं और सारा गुस्सा आपके सामने निकाल देते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि जो कुछ हम यहां पर कहते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

अखबारों की रिपोर्ट है कि खरीद किया हुआ गल्ला भी भीग गया है और खराब हो गया है जो खरीद सेंटर्स पर पड़ा हुआ था। आप यह बात कैसे कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ है। किसान का भी नुकसान हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कटी फसल को भी नुकसान हुआ है, खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है और जहां प्रोसिंग हो रही है वहां भी नुकसान हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखर क्या इंतजाम किया जा रहा है जिससे किसान को राहत न मिल सके और उसकी लूट बंद हो।

दूसरी बात मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं। जितना शिवाली का तराई का इलाका है या गंगा खादर का इलाका है, उसमें तमाम झोंपड़ियां बनी हुई हैं। वहां पर गरीब लोग बसते हैं। वहां पर आंधी आने से झोंपड़ियों में आग लग जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। पिछले दिनों में अपने इलाके में गया था एक गांव में। वहां पर आग लगी थी। ढाई सौ मकान जलकर खाक हो गए थे। कई जानवर जल गए थे। शुक्र है कि किसी आदमी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि उसके बराबर-बराबर के 18 गांव जल गए हैं। इसके बावजूद कोई डिस्ट्रेक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या अफसर या पटवारी तक भी वहां इस चीज को देखने के लिए नहीं गया था, मेरे जाने तक। दूसरे दिन मैंने डी.एम. को रिपोर्ट दी कि इतने गांव जल गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास तो एक गांव की रिपोर्ट आई है। मैंने बताया कि एक नहीं 18 गांव जले हैं। यह बात सही है कि ज्यादातर मामले स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, लेकिन दो तीन चीजें आप स्टेट गवर्नमेंट को जरूर लिखें।

(व्यवधान)

आप लिखें कि सहारनपुर से लेकर शिवाली की तराई के गांवों के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम होना चाहिए ताकि आग को सही वक्त पर बुझाया जा सके। मसलन अब जो आग लगती है देहरादून के नीचे बिल्कुल तो आग बुझाने के लिए सहारनपुर से प्रबंध हो सकता है। टेलीफोन का कोई प्रबंध नहीं है।

पिछले जनता राज में यह बात की गई थी कि मिर्जापुर, छुटमलपुर या मुजफ्फरनगर और दूसरे इलाकों में जहां नियरेस्ट पाइन्ट पर पासीबल हो सकता था, हमने रखा था कि आग लगने का जिन गांवों में खतरा है उनके करीब फायर ब्रिगेड रखें ताकि आग बुझाने में आसानी रहे। स्पीकर साहब भी बता रहे थे लेकिन आपने कहा है कि डेमेज की सूचना आपके

पास नहीं आई है । सत्तर फी सदी के करीब बागात में नुकसान हुआ है । बुलन्दशहर, मुजफ्फर नगर और लखनऊ में तो आम के बागात में पचास से सत्तर फी सदी का नुकसान हुआ है। जिन लोगों बाग नहीं बेचे थे, जिन लोगों ने बाग नहीं बेचे थे, उनके बेचने का सवाल नहीं हैं। जिन्होंने बाग खरीद लिए थे, वे छोड़कर भागता चाहते हैं।अब जो बीमारी लगी हैं, उसके लिए कोई दवाई एवेलेबल नहीं है। पहले हैलीकाप्टर से दवा का छिड़काव हो जाता था, वह भी आपने नहीं कराया । इस सिलसिले में आप क्या करायेंगे ? इससे भी ज्यादा परेशानी यह हैं कि जब हवा चलती है तो बिजली के खम्बे गिर जाते हैं और बिजली की लाइनें टूट जाती हैं। आप जानते हैं क्योंकि आप खुद किसान हैं, आजकल थ्रेशिंग का जमाना है। किसान को किस तरह जल्दी होती है कि वह आइन्दा आने वाले मौसम से सावधान हो जाना चाहता है। बिजली के खंबों और लाईनों को दोबारा ठीक करने के लिए आपका आदमी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इनको ठीक कराने के लिए उनसे पैसे मगें जाते हैं। जब वह पैसे देगें तब जाकर वह ठीक होगा। आपने मैट्रोलाजिकल का जिक्र किया है । इसके बारे में देहात में मशहूर हो गया है कि जब आप कह दें कि बारिश आयेगी तब इतमिनान से घर से चले जाओ और जिस दिन यह कहें कि आज आंधी, हवा या बारीश का खतरा नहीं हैं, उस दिन घर पर मौजूद रहो । अब तो आपने इनसेंट ए और बी लगा दिया है। कम से कम मौसम के बारे में एक्यूरेट एलान कर दिया करें। डवलपमेंट ब्लाक्स के लिए ऐसा इतजाम होना चाहिए जिससे आंधी या तूफ़ान की इतला दी जा सके, जिन इलाकों में इसके आने का अन्देशा हो।

जब उड़ीसा के बारे में बात हो रही थी तो वहां का जो डवलपमेंट ब्लाक का आफिस था, वह बिल्कुल फैल हो गया। इत्तिफाक से उसे उस समय मेरा ही कालिंग अटेंशन था। आपने कहा था कि हमने तीन दिन पहले इत्तिला कर दी थी। लेकिन आपके डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी किसी गांव में नहीं गया था। वह तो बहुत बड़ा खतरा था लेकिन इससे तो जान का खतरा नहीं है किसान तो पूरा साल फसलों पर ही निर्भर रहता है, उसकी कोई दूसरी इन्कम नहीं है। अपने डिपार्टमेंट को आप कहें कि वह सही खबरें दें। जिन इलाकों में इस बात का खतरा हो कि तूफान आयेगा, उनको पहले से ही इत्तिला दी जा सके, इस बात का इंतजाम होना चाहिए जिससे जान बच सके। दूसरी बात, आग से बच सकें और तीसरी बात जो बिजली के खंबे गिर जाते हैं, उनको दोबारा लगाने के लिए सरकारों से कहा जाए। आपने मेरे जिले का भी जिक्र किया है कि वहां सर्दी से नुकसान हुआ है। असल में बारीश का नुकसान सर्दी से ज्यादा हुआ है । आप कर्जे की रिकवरी कुछ समय के लिए सस्पेन्ड कह देते हैं। अगले साल जब आप कर्जा वसूल करते हैं, उसे अरसे का जिसके लिए आपने रिकवरी सस्पेन्ड की थी, उसका पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। बजाय इसके कि किसान को राहत मिले, वह मुसीबत में फस जाता है। मेरी दरखास्त है कि जिस पीरियड के लिए आप सस्पेन्ड करते हैं, उसका इंटरेस्ट न लिया जाय । यह दो-तीन प्रोपोजल्स हैं। उम्मीद है, आप हमदर्दी से गौर फरमायेंगे।

پاتی ہے، جب سردی میں آپ لوگ ہیٹر لگا کر اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ اس سردی میں کھیتوں میں جا کر کام کرتے ہیں اور سب لوگوں کے لئے گیہوں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سردی کے دن گیہوں کی بوائی کے دن ہوتے ہیں اور کسان لوگ کھلے کھیتوں میں کھڑے ہو کر ملک کے لوگوں کے لئے گیہوں پیدا کرتا ہے۔

منتری جی۔ ان لوگوں کو کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ، درد آئے، کوئی پریشانی آئے آپ ان لوگوں کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں کیوں کہ آپ کو اس سیکٹر کے لوگوں سے دل چسپی نہیں ہے، حالانکہ آپ بھی اس سیکٹر کے ہیں، میں آپ کو دلی میٹروپولیٹن کونسل کے ایک ایگزیکیوٹو کونسلر کے بارے میں بتاتا ہوں اس بیان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو یہ بیماری ہو گئی لیکن منتری جی کو اس کے بارے میں اب تک کوئی انفارمیشن نہیں آئی، پتہ نہیں منتری جی کو اس کے بارے میں کیوں اطلاع نہیں آئی، جو اولا پڑا، بارش ہوئی اور ہوا چلی اس سے کس قدر کسانوں کی فصلوں کو نقصان ہوا۔ اور اس سے وہ پریشان ہیں یہ میں ایگزیکیوٹو کونسلر کے بیان سے پڑھ کر سناتا ہوں

> "Executive Councillor, Prem Singh, admitted that the pamage to the crop has been extensive. He has ordered District Magistrate, R.S. Sathi, to rush revenue officials to the areas to assess the damages"

آپ کی ہی پارٹی کے وہ ایگزیکیوٹو کونسلر ہیں اور انھوں نے ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو انکوائری کے لئے بھیج دیا ہے اور اس کی آپ کو اطلاع تک نہیں ہوئی کہ کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں، وہاں پر ٹمپریری طور پر قرضوں کی وصولی سسپینڈ کر دی گئی ہے، جب آپ کو یہاں کی ہی اطلاع نہیں ہے تو دور دراز جو کسان

لشری رشید مسعود (سہارنپور)

محترم اسپیکر صاحب! منتری جی کا بیان پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس ملک میں کوئی سرکار ہے ہی نہیں۔ سن ۱۹۸۰ میں یہ سرکار وعدہ کر کے آئی تھی کہ یہ وہ سرکار ہو گی "دی گورنمنٹ ڈیٹ ورکس" لیکن اس بیان کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرکار کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں کوئی انفارمیشن کنوے نہیں کی گئی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹس سے انفارمیشن نہیں آئی ہے، خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جن اسٹیٹس کے بارے میں یہ کالنگ اٹینشن ہیں، جموں و کشمیر سٹیٹ کو چھوڑ کر ان سبھی اسٹیٹس میں اس پارٹی کی سرکاریں ہیں، جس پارٹی کی سرکار کیندر میں ہے۔ لیکن کالنگ اٹینشن منظور ہو گیا، اور اس کا جواب دینے کے لئے بھی منتری جی یہاں چلے آئے مگر کوئی انفارمیشن کلیکٹ انھوں نے نہیں کی، ادھورا جواب لے کر چلے آئے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کے متعلق یہ کالنگ اٹینشن ہے ان لوگوں سے آپ کی بالکل کوئی دل چسپی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس گرمی میں کھیتوں پر کام کرتے ہیں۔ جب کہ دلی، کلکتہ اور بمبئی جیسے شہروں کے لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ لوگ کھلی اور کڑاکے کی دھوپ میں کھڑے ہو کر فصل کاٹتے ہیں، فصل بوتے ہیں، یہ لوگ برسات میں دھان کی بوائی کرتے ہیں، جب کہ سرکار کے اندر کے لوگ گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں سے سرکار کی اس لئے دل چسپی نہیں ہے کہ یہ لوگ الیکشن فنڈ میں مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ کسی دوسرے طریقے سے بھی سرکار کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آواز پارلیامنٹ تک بڑی مشکل سے پہنچ

رہتے ہیں ان کی پریشانی کے بارے میں آپ کو کیا اطلاع ہوگی، یہ بہت افسوسناک حالت ہے اس لئے افسوسناک حالت ہے کہ ہمارے محترم وزیر صاحب اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تکلیف اور دکھ کو لیکر ہم یہاں آئے ہیں آج یہ بات کہہ رہے ہیں۔

محترم وزیر صاحب کو یا تو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے یا وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں، انھوں نے کہا ہے کہ گونڈا کے چھ ولیجز میں اور سرسہ کے ولیجز میں یہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان ان ولیجز میں ہی نہیں بلکہ ملک کے ہزاروں، ہزاروں ولیجز میں ہوا ہے، کھیتوں میں جہاں گیہوں کھڑا تھا ان میں پانی بھر گیا، جن جگہوں پر پانی بھر جاتا ہے، ان جگہوں پر گیہوں کالا پڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے وہ کالا گیہوں جب کسان آپ کے سینٹرس پر لیکر جاتا ہے تو اسے وہاں بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس کا حل آپ نہیں نکال سکے ہیں پچھلے سال آپنے اپنے اسٹینڈرڈ کو لوز کیا تھا۔ لیکن اسٹینڈرڈ لوز کرنے کے بعد بھی حقیقت یہ ہے کہ اس سے کسان کو کوئی راحت نہیں ملی ہے، آپ کے لوز اسپیسی فیکیشن کرنے کے باوجود بھی آپ کے سینٹر والے اس کے غلے کو خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب تک انسپکٹر کو پیسہ نہیں دیا جاتا وہ اس گیہوں کو پاس نہیں کرتا، آپ اس کی کیا ویوستھا کریں گے، اس کا کیا انتظام کریں گے، جو گیہوں کھلیہانوں میں کٹا ہوا پڑا ہے کالا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے اس کی وجہ سے آج کسان پریشان ہے، یہ بات آج ہی نہیں ہوئی ہے پچھلے سال بھی میں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، میں نے خود سینٹرس میں جاکر دیکھا تھا اور کئی سینٹروں میں کسانوں نے مجھے شکایتیں بھی کیں، میں نے ان شکایتوں کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سہارنپور کے پاس بھی بھیجا تھا۔

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سہارنپور کو شکایات کرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، صرف یہ ہوا کہ جس دن چیکنگ ہوئی اس دن جو اناج لائے تھے وہ لے لیا گیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ جو ہم پارلیامنٹ اور اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر چیزیں سٹیٹ گورنمنٹ کے ادھین آتی ہیں، لیکن وہاں بھی تو آپ کی پارٹی کی سرکاریں ہیں۔ آپ وہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہ کسانوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیئے۔ کٹی ہوئی فصل کے بارے میں میں نے آپ کو جانکاری دی ہے، کھڑی فصل کو بھی آندھی سے نقصان ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کون آنکڑے دیتا ہے، کون سی ایجنسی آپ کو یہ آنکڑے سپلائی کرتی ہے جس کے تحت ملک کا پیٹ بھرنے والے کسان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اس کی تکلیف کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، جب احساس نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے اور کر تو ہم کچھ نہیں سکتے ہیں کالنگ اٹینشن دیتے ہیں اور سارا غصہ آپ کے سامنے نکال دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کہتے ہیں اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔

اخباروں کی رپورٹ ہے کہ خرید کیا ہوا غلہ بھی بھیگ گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے جو خریدا ہو سینٹرس میں پڑا ہوا تھا، آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا ہے، کسان کا بھی نقصان ہوا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کٹی فصل کو بھی نقصان ہوا ہے کھڑی فصل کو بھی نقصان ہوا ہے اور جہاں تھریشنگ ہو رہی ہے وہاں بھی نقصان ہوا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا انتظام کیا جا رہا ہے جس سے کسان کو راحت مل سکے اور اس کی لوٹ بند ہو۔

دوسری بات میں اپنے ضلع کی بتانا چاہتا ہوں تاشیوالی کا ترائی کا علاقہ ہے یا گنگا کھادر کا علاقہ

ہے اس میں تمام جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پر غریب لوگ بستے ہیں، وہاں پر آندھی آنے سے جھونپڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، پچھلے دنوں میں اپنے علاقے میں گیا تھا ایک گاؤں میں، وہاں پر آگ لگی تھی، ڈھائی سو مکان جل کر خاک ہو گئے تھے۔ کئی جانور جل گئے تھے، شکر ہے کہ کسی آدمی کی جان کا نقصان نہیں ہوا لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کے برابر برابر کے اٹھارہ گاؤں جل گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، تحصیلدار یا افسر یا پٹواری تک وہاں اس چیز کو دیکھنے نہیں گیا تھا۔ میرے جانے تک، دوسرے دن میں نے ڈی۔ ایم کو رپورٹ دی کہ اتنے گاؤں جل گئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک گاؤں کی رپورٹ آئی ہے میں نے بتایا کہ ایک نہیں اٹھارہ گاؤں جلے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ تر معاملے سٹیٹ گورنمنٹ کے ادھین آتے ہیں لیکن دو تین چیزیں آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کو ضرور لکھیں۔

—(انٹرو پشنز)—

آپ لکھیں کہ سہارنپور سے کرشیوالک کی ترائی کے گاؤں کے لئے فائر بریگیڈ کا انتظام ہونا چاہئے تاکہ آگ کو صحیح وقت پر بجھایا جا سکے۔ مثلاً اب جو آگ لگتی ہے دھرادون کے نیچے بالکل تو آگ بجھانے کے لئے سہارنپور سے پربندھ ہو سکتا ہے۔ ٹیلی فون کا کوئی پربندھ نہیں ہے پچھلے جنتا راج میں یہ بات کی گئی تھی کہ مرزا پور، جھبھل پور یا مظفر نگر اور دوسرے علاقوں میں جہاں نیئریسٹ پوائنٹ پر پاسیبل ہو سکتا تھا میں نے رکھا تھا کہ آگ لگنے کا جن گاؤں میں خطرہ ہے ان کے قریب فائر بریگیڈ رکھیں تاکہ آگ بجھانے میں آسانی ہے۔ اسپیکر صاحب بتا رہے تھے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ

ڈیمیج کی سوچنا آپ کے پاس نہیں آتی ہے۔ ستر فی صدی کے قریب باغات میں نقصان ہوا ہے، بلند شہر، مظفر نگر اور لکھنؤ میں تو آم کے باغات میں پچاس سے ستر فیصدی ایک کا نقصان ہوا ہے، جن لوگوں نے باغ نہیں بیچے تھے ان کے بیچنے کا تو سوال نہیں ہے، جنھوں نے باغ خرید لئے تھے وہ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب جو بیماری لگی ہے اس کے لئے کوئی دوائی اویلیبل نہیں ہے۔ پچھلے ہیلی کاپٹر سے دوا کا چھڑکاؤ ہو جاتا تھا۔ وہ بھی آپ نے نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کرائیں گے اس سے بھی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو بجلی کے کھمبے گر جاتے ہیں اور بجلی کی لائینیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں کیوں کہ آپ خود کسان ہیں۔ آج کل تھریشنگ کا زمانہ ہے، کسان کو کس قدر جلدی ہوتی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے موسم سے ساؤدھان ہو جانا چاہتا ہے، بجلی کے کھمبوں اور لائینوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لئے آپ کا آدمی جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لئے پیسے مانگے جاتے ہیں جب وہ پیسے دیں گے تب جا کر وہ ٹھیک ہو گا آپ نے فیرالاجیکل کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں دیہات میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب آپ کہہ دیں کہ بارش آئے گی تب اطمینان سے گھر سے چلے جاؤ۔ اور جس دن یہ کہیں کہ آج آندھی، بارش یا ہوا کا خطرہ نہیں ہے اس دن گھر پر موجود رہو، اب تو آپ نے انسیٹ اے اڑنی لگا دیا ہے کہ کم سے کم موسم کے بارے میں ایکیوریٹ اعلان کر دیا کریں، ڈیولپمنٹ بلاکس کے لئے ایسا انتظام ہونا چاہئے جس سے آندھی یا طوفان کی اطلاع دی جا سکے۔ جن علاقوں میں اس کے آنے کا اندیشہ ہو۔ جب اڑیسہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو

وہاں کا جو ڈیولپمنٹ بلاک کا آفس تھا وہ بالکل فیل ہوگیا۔ اتفاق سے اس سمے میرا ہی کالنگ اٹینشن تھا آپ نے کہا تھا کہ ہم نے تین دن پہلے اطلاع کردی تھی لیکن آپ کے ڈیپارٹمنٹ کا کوئی بھی آدمی کسی گاؤں میں نہیں گیا تھا۔ وہ تو بہت بڑا خطرہ تھا۔ لیکن اس سے جان کا خطرہ نہیں ہے۔ کسان تو پورا سال فصلوں پر ہی نظر رکھتا ہے۔ اس کی کوئی دوسری انکم نہیں ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو آپ کہیں کہ وہ صحیح خبریں دے جن علاقوں میں اس بات کا خطرہ ہو کہ طوفان آئے گا ان کو پہلے ہی سے اطلاع دی جاسکے۔ اس بات کا انتظام ہونا چاہیئے جس سے جان بچ سکے۔ دوسری بات آگ سے بچ سکیں اور تیسری بات جو بجلی کے کھمبے گر جاتے ہیں ان کو دوبارہ لگانے کے لئے سرکاروں سے کہا جائے۔ آپ نے میرے ضلع کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں سردی سے نقصان ہوا ہے، اصل میں بارش کا نقصان سردی سے زیادہ ہوا ہے۔ آپ قرضے کی ریکوری کچھ سمے کے لئے سسپینڈ کردیتے ہیں۔ اگلے سال جب آپ قرضہ وصول کرتے ہیں اس عرصے کا جس کے لئے آپ نے ریکوری سسپینڈ کی تھی۔ اس کا پورا انٹرسٹ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ کسان کو راحت ملے وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے میری درخواست ہے کہ جس پیریڈ کے لئے آپ سسپینڈ کرتے ہیں اس کا انٹرسٹ نہ لیا جائے، یہ دو تین پروپوزل ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمدردی سے غور فرمائیں گے۔

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मोहतरिम मैम्बर ने जो बातें यहां कही मैं उनमें बहुत सी बातों से सहमत हूं। सब भी किसानों पर कुदरती आफ़त आती है तो सरकार की कोशिश यही होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। जैसा आनरेबल मैम्बर भी जानते हैं असल में यह सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटस की है और उन्होंने खुद भी फरमाया है कि यह किसानों से मुताल्कि स्टेट सब्जैक्ट है। फिर भी हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जितने कार्य हैं तालमेल रखने का काम है, सैन्ट्रली स्पौन्सर्ड स्कीमों को इम्पलीमेंट करने का काम है, हम वक्त-दर-वक्त ज्यादा से ज्यादा यहां से मदद देते रहते हैं और आपने पिछले सालों में देखा होगा कि कई कैलेमिटीज के किए, जैसे ड्रौट फ्लड, साइक्लोन विभिन्न भागों में आए, हमने ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को मदद दी। पिछले दो तीन सालों में भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंटस को जो इमदाद पहुंची है वह भी एक रिकार्ड है, इतनी मदद इससे पहले कभी नहीं दी गई। इसके बावजूद बाजदफा ऐसे हालात होते हैं कि जनसंख्या का तो कोई नुकसान नहीं होता, परन्तु ओले पड़ने के कारण, जोर की आंधी चलाने के कारण या ऐसे ही किसी दूसरे हादसे की इत्तला इकट्ठी करने और यहां तक पहुंचने में देर लग जाती है। अभी तक इसीलिए हम पूरी मालुमात नहीं कर पाये हैं। आखिर जितना नुकसान होता है, उसका अंदाजा लगाने का भी एक तरीका होता है।

श्री रशीद मसूद : आपके टी. वी. ने तो कह दिया कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, दिल्ली में, यदि कोई असैसमेंट ही नहीं हुआ तो टी. वी. तो आपके कन्ट्रोल में है, उसने कैसे कह दिया। आप उसको तो रोकिए।

شری رشید مسعود

آپ کے ٹی۔ وی نے تو کہا ہے کہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ دلّی نے ابھی کوئی اسسمنٹ ہی نہیں ہوا تو ٹی۔ وی تو آپ کے کنٹرول میں ہے اس لئے اس نے کیسے کہہ دیا۔ آپ اس کو تو روکئے!

राव बीरेन्द्र सिंह : यह कौन कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि उसकी इतला हमारे पास अभी नहीं पहुंची ।

श्री रशीद मसूद : आपके टी. वी. ने यह कहा, चव्हाण साहब सिर हिला रहे हैं, शायद इन्होंने भी सुना होगा. ।

شری رشید مسعود

آپ کے ٹی وی نے یہ کہا۔ چوہان صاحب سر ہلا رہے ہیں، شاید انھوں نے بھی سنا ہوگا۔

राव बीरेन्द्र सिंह : हमको जितना पता उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं । क्योंकि पिछली सर्दियों में हुए नुकसान की कुछ इत्तला हमारे पास आई है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा बारिश पिछले दिनों हुई, वह सब जगह नहीं हुई, ओले भी सब जगह नहीं पड़े । कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक गांव के एक खेत में ओले पड जाते हैं और बराबर का दूसरा खेल सूखा पड़ा रहता है, एक गांव में पड़ जाते हैं, दूसरा साथ का गांव खुश्क रहता है, उनका प्रभाव एक गांव में दो खेतों पर पड़ता है तो दूसरे जिले के तीन खेतों पर पड़ता है । एक लाईन में कुछ गांवों को कवर करते चले जाते हैं । लेकिन उनके प्रभाव की जानकारी 24 घण्टे में या 40 घण्टे में इकट्ठा करना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सम्भव नहीं है । टी. वी. पर कैसे समाचार आया उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मुझे इत्तला आई है, वह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने पूछा है । हमें कल तक कुछ पता नहीं था कि पंजाब में कितने गावों पर उसका इफैक्ट पड़ा । आज सुबह 10 बजे ही मालूम हो सका कि पंजाब के 28 गांव प्रभावित हुए हैं । उससे पहले हम पूछते रहे लेकिन पंजाब से कोई सूचना हमें नहीं मिली । उससे पहले हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ, गुड़गांव में तीन गांवों पर ओलों का प्रभाव पड़ा। हरियाणा के किसी दूसरे जिले में 6 गांव प्रभावित हुए, कुछ यू. पी. में भी नुकसान हुआ होगा। कहीं और भी ओले पड़े होंगे, लेकिन जब तक मेरे पास पूरी इत्तला नहीं आती, मैं कैसे कह सकता हूं । मैं तो जाकर इसकी सूचना इकट्ठा नहीं कर सकता । इससे स्टेट गवर्नमेंट का कसूर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसको सारी इत्तला इकट्ठा करने में कुछ देर लगती है । इससे अलावा आप डैमेज के बारे में पूछ रहे हैं, डैमेज का पता तो पटवारी लेवल से लगता है, पहले स्पेशल गिरदावरी होता है, नुकसान का सर्वे होता है कि कहाँ 25 परसेंट से कम नुकसान हुआ, कहां 50 परसेंट या उससे ज्यादा टोटल डैमेज है ।

(Interruptions)

These statements cannot be given everyday. It is a Calling Attention Motion. Eyerything will be known to to the Hon. Members as the information is collected. But we cannot go on monitoring the same thing with the State Governments day-to-day.

(Interruptions)

Attention has been invited and now I am replying on the basis of the information received.

दिल्ली का इन्होंने जिक्र किया, एक एक्जीक्यूटिव कौंसिलर ने ऐसा बयान

दिया कि कुछ नुकसान हुआ है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी आर्डर की। लेकिन जब तक उसका सर्वे नहीं हो जाता, उसका तखमीना नहीं बन जाता कि किसी गांव में नुकसान कितना हुआ, उस वक्त तक न तो वे कुछ बता सकते हैं और न हम कुछ बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर रिकवरी मुल्तवी कर दी है, इसकी हमें इत्तला है। उसके बाद किस गांव में कितना नुकसान हुआ, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सारी जगह की इत्तला हमें मिले।

माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों गांवों में ओले पड़े। इनकी हजारों की इत्तला हैं, मेरे पास कुछ दर्शन की है। हजारों गांवों की जो इत्तला आपके पास है तो हमें बता दीजिये हम स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे कि कार्यवाही के लिए। लेकिन अंदाज के तौर पर कहना, मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता जब तक मेरे पास पूरी इत्तला न हो।

श्री रशीद मसूद : ओले नहीं साहब मैंने कहा कि आंधी, पानी और ओले से नुकसान हुआ।

شری رشید مسعود۔ اولے نہیں صاحب۔ میں نے کہا کہ آندھی پانی اور اولے سے۔

राव बीरेन्द्र सिंह : साइक्लोन और फ्लड के लिए हमने काफी इम्दाद की। 334 करोड़ रुपये की असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट को फ्लड के लिए 1983-84 में दी है अभी मार्च के बाद और इससे पहले साल में 1982-83 में 359 करोड़ रुपये की इम्दाद दी फ्लड और साइक्लोन के लिए।

माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे सवाल उठाये हैं जिनका ताल्लुक सीधे मुझ से नहीं है। जैसे अनाज की खरीद। मेरा अपना अंदाजा यह है कि जो बारिशें हुई हैं इस बात को देखते हुए कि इस बार मार्च के बाद काफी खुश्क रही सारे नार्दन इण्डिया में बारिश डेफीशिमेंट रही है। सारे इलाके में बारिशें कम हुई हैं मार्च से पिछली बार जब अनाज निकल रहा था तो बेशुमार बारिश हुई जिससे अनाज खराब हो गया था लेकिन उस डिसकलर अनाज को भी खरीदा गया। इस बार भी अगर ऐसी कोई बात हुई तो मुझे उम्मीद है कि फ्लड मिनिस्ट्री इसका इन्तजार करेगी। जिससे किसानों का अनाज बिक सके और उनको मुनासिब कीमत मिल सके। मैं खुद जानता हूँ कि इस बारिश और ओले से अनाज के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां नहरी पानी था जैसे पंजाब में वहां फसल कट जाती है। जहां पहले गेहूँ बोया गया था वहां फसल कट चुकी है उसमें कहीं अनाज निकला है और कहीं नहीं निकला है और थोड़े बारिश और ओले से उस पर कोई नुकसान नहीं पड़ता। .. ..

श्री रशीद मसूद : पानी जब भर जाती है तो नुकसान होता है।

شری رشید مسعود: پانی جب بھر جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔

राव बीरेन्द्र सिंह : हो सकता है। लेकिन मेरे पास इत्तला नहीं है। यह चीजें जनरली नहीं कही जा सकती हैं कि इस बारिश से अनाज काला पड़ गया।

पावर लाइन्स टूट जाती है, यह सही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट

(राव बीरेन्द्र सिंह)

के पास है, वह फौरन मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस की हम खम्भे खड़े करने के लिए मदद दें तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या फर्ज रह जाता है ? हम पहले से चेतावनी भी देते हैं, फौरन इन्तजाम करने के लिए कहते हैं, ऐडवांस प्लान भी बनाते हैं, हम उसको लिखते भी हैं कि क्या-क्या करना चाहिए।

आपने कहा आग से बहुत नुकसान होता है। खलिहान में...

श्री रशीद मसूद : खलिहान नहीं, मैंने गांव की बात बतायी।

شری رشید مسعود : کھلیان نہیں میں نے گاؤں کی بات بتائی۔

राव बीरेन्द्र सिंह : गांव भी जल जाते हैं।

श्री रशीद मसूद : मैंने जिन इलाकों की बात की है वह हर साल जलते हैं इत्तफाक है जहां भी फायर ब्रिगेड का नीयरेएट पौइन्ट हो वहां इस बारे में कुछ किया जाय।

पहले यह हमारी गवर्नमेंट ने रखा था। अब आप उसे सहारनपुर में मेरठ की तराई का जो इलाका है, वहां ले गये।

شری رشید مسعود : میں نے جن علاقوں کی بات کی ہے وہ ہر سال جلتے ہیں، اتفاق سے جہاں بھی فائر بریگیڈ کا نیئریسٹ پوائنٹ ہو وہاں اس بارے میں کچھ کیا جائے۔ پہلے تھا، ہماری گورنمنٹ نے رکھا تھا۔ آپ آپ اسے سہارنپور سے میرٹھ کی ترائی کا جو علاقہ ہے وہاں لے گئے۔

13.00 hrs.

राव बीरेन्द्र सिंह : आपकी गवर्नमेंट ने रखा था तो वह फायर इंजन कहां चले गये ?

श्री रशीद मसूद : वह आपने हटा दिये, सहारनपुर ले गये। आप मालूम कर लीजिए।

شری رشید مسعود۔ وہ آپ نے ہٹا دیئے، سہارنپور لے گئے۔ آپ معلوم کر لیجئے۔

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बात में मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री रशीद मसूद : आपने उनको विद्-ड्रा कर लिया था।

شری رشید مسعود۔ آپ نے ان کو ویتھ ڈرا کر لیا تھا۔

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें मुश्किलात हैं। गांव-गांव में कितने फायर इन्जन का इन्तजाम किया जा सकता है ? खेत-खेत में किया जा सकता है या नहीं ? फायर इंजन भी पानी कहीं होगा तो आप बुझा सकते हैं, फायर इंजन में पानी भरा हुआ नहीं होता है, उसके लिये भी पानी का सोर्स चाहिए। यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं जिससे वह गांव में आग बुझाने का इन्तजाम कर सकें। यह तो आप भी मानेंगे कि शहरों और कस्बों में भी पूरा इन्तजाम नहीं है। आग बुझाने का कहां-कहां फायर ब्रिगेड है शहरों में भी पूरे हैं या नहीं हैं ?

मैट्रोलाजीकल डिपार्टमेंट की बात आपने बहुत मुनासिब कही है कि इसके लिए ज्यादा सर्विसेज होनी चाहिए। हम उनको स्ट्रेन्थन कर रहे हैं। हमारी पार्टी के मैनिफैस्टो में भी यह है।

जैसा हमारी पार्टी के मैनिफस्टो में भी शामिल है कि कोई नेशनल लेवल पर डिजोस्टर कमीशन बनाना चाहिए, इस पर हम गौर कर रहे हैं। हम कोई ऐसी आर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसके जरिए हम पता करें कि एग्रीकल्चर के सैक्टर में भी वक्त पर इत्तिला दी जा सके, जो इत्तिला हो उसे नष्ट करने के लिए इन्तजाम करें कि कहां सूखा है, कहां बारिश है, कहां ओले पड़ने का डर है और उसके इन्तजामात ब्लाक लेबल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर होने चाहिए। उसके लिए हम एक आर्गेनाइजेशन को स्ट्रैन्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। बात चल रही है और काफी उस मामले में आगे बढ़ चुके हैं, प्लान तैयार है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि किसान को अगर बचाना है इन आफतों से तो उन्हें वक्त पर इत्तला मिलनी चाहिए कि बारिश आने का डर है। अचानक बारिश आ जाती है। यह मौसमी बारिश है, आम बारिश नहीं है। कहीं एकदम बादल फटा और ज्यादा बारिश हो गई। अगर वक्त पर इसकी इत्तिला किसानों को मिल जाय तो वह अपने खलिहानों को ढक सकते हैं, अनाज निकाल लिया है तो उसे भीगने से बचाने का इन्तजाम कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर सरकार का ध्यान है और हम उमीद करते हैं कि हम जल्दी ही ऐसी आर्गेनाइजेशन बना पायेंगे जिससे यह इत्तिला मिल सके।

यह बात बिल्कुल गलत है कि मैट्रोलाजीकल डिपार्टमेंट की खबरें गलत होती है, अन्दाजा गलत होता है।।

श्री रशीद मसूद : रैपुटेशन तो यही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : दुनिया भर में अगर कोई परसेंटज है कि इनकी इत्तिला करैक्ट हो तो हमारे मैट्रोलाजीकल डिपार्टमेंट की इत्तिला भी उसी तरह से सही होती हैं। फिर सैटेलाइट टैक्नोलाजी को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सैटेलाइट का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों का भी यही इन्टरप्रेटेशन होता है। इस सारी चीज का हमारा इण्डिया का मैट्रोलाजीकल आफिस इन्तजाम करता है। हम उससे पूरे मालूमात करते हैं।

13.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

———

The Lok Sabha then Reassembled After Lunch at ten Minutes Post Fourteen of the Clock

[MR. SPEAKER *in the chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER URGENT PUBLIC IMPORTANCE —*Contd.*

Reported Extensive damage to crops due to cold wave rains and hailstorm— *Contd.*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर अजित कुमार मेहता।

एक चीज में बताता हूँ। हमारी कुछ प्रथा ऐसी हो गई हैं कि कालिंग अटेंशन में जितना हमने नियम के अनुसार टाइम रखा हुआ है उससे पांच गुना, सात गुना लगता है। तो उसके कोई मसला हल नहीं होता। वही बातें बार-बार दोहरायी जाती हैं। मैं आनरेबल मैम्बर्स से विनती करूंगा कि

(Prof. Ajeet Mehta)

उसी तक अपने को सीमित रखें तो उससे ज्यादा लाभ होगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : आप विनती क्यों करते हैं ? आप तो उस जगह पर हैं कि जहां से आप आदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो बात आपको करनी है वह आप के ही निमित्त मैंने रख दिया जिससे आप का काम भी बन जाय और टाइम भी बच जाय। सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे।

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, ...

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : जो प्रोफेसर हैं वह पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रो. अजित कुमार मेहता : नहीं नहीं, प्रोफेसर जिन्दगी भर पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले मंत्री महोदय ने जिस लहजे में और जिस तरह से यह कहा कि किसानों के मामले में फसल का जो नुकसान हुआ है प्राकृतिक प्रकोप के कारण, उसके परखने की या एस्टीमेट करने की, उनको मुआवजा देने की, किसानों को राहत देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, समझ में नहीं आता कि ऐसा रुख क्यों है ? आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है ? न आप का कोई दोष है ? मान लेता हूं कि आप का भी दोष नहीं है और राज्य सरकारों का भी दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी जांच की ही नहीं होगी और उन्हें पता ही नहीं होगा कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फसल को कितना नुकसान हुआ है। दोषी तो किसान है जो जाड़े में गर्मी में हर मौसम में परिश्रम करके अनाज पैदा करता है और सारे देश का पेट भरता है। यह दोष उसी का है कि वह इतना परिश्रम क्यों करता है। और सब लोग तो कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक प्रकोप है। उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दिया।

आपका मीटरोलांजिकल डिपार्टमेंट है। मीट्रोलांजिकल डिपार्टमेंट ने जो भी भविष्यवाणी अब तक की है उससे किसानों को क्या लाभ हुआ है ? क्या उनकी भविष्यवाणी का तरीका इस प्रकार का होता है कि उससे किसानों को लाभ पहुंच सके ? क्या वह बताते हैं कि कहां और कब वर्षा होगी या ओले पड़ेंगे और फलां फलां इलाके में ऐसा होगा ? उनकी भविष्यवाणी का तरीका यह होता है कि रात में यह कह दिया कि कल राज्य में कहीं-कहीं वर्षा होने की और ओले पड़ने की सभावना है। इस का क्या मतलब होता है कि किसान अपनी सारी फसल जो काटे हुए हैं, उसको खलियान से उठाकर घर में रख लें ?

राव वीरेन्द्र सिंह : तो कैसे करें ? आप बताइए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : जब आपके पास आधुनिकतक संसाधन हैं और उपग्रह हैं तो उसकी सहायता से बहुत हद् तक सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप यह बताएं कि इस इलाके में वर्षा होने की संभावना है या ओले पड़ने की सभावना है। राज्य का रकबा कितना होता है ? कह दिया कि उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। इसका क्या अर्थ निकलता है किसानों के लिए ?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर सारा भी एनाउन्स करदें तक भी अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ तब निकलता है जब कोई निराकरण कर सकें। देखिए, मैं बलगारिया गया था, वहां एक डेफेन्स इंस्टालेशन है-मैं आपकी इंफामेशन के लिए बतला दूं-वहां संचार उपग्रह से और दूसरों से मालूम होता है एक एक क्लाउड है, फिर दूसरा है। They fired rockets. I do not know how they do it. But you may get information.

इसलिए अगर कर भी दें तो बगैर साधनों से कोई असर नहीं पड़ता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : इतना तो मालूम हो जायेगा कि फलाने इलाके में वर्षा होने की संभावना है, को लोकलाइज्ड इलाका मालूम हो तो वहां के लोग सावधान हो जायें और जहां तक सम्भव हो अपनी फसल बचाने का प्रयास करें। जो फसल खलियान में आ गई हो या कटने की स्थिति में हो उसके लिए भी वे कुछ प्रबन्ध कर लें।

अध्यक्ष महोदय, 1984-85 के बजट में मेटेरियोलोजिकल डिपार्टमेंट के लिए 14.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि कितना धन एग्रो-मेट्रोलोजी की और खर्च किया जायेगा जिससे किसानों को कुछ लाभ हो सके? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि कहां-कहां केन्द्र स्थापित करेंगे जिसके कि मौसम के बारे में किसानों को सही-सही जानकारी कृषि कार्यों के लिए मिल सके और वह लाभदायक सिद्ध हो? असल में जो योजनाकार है वह दिल्ली में रहते हैं। अभी फसल को इतनी हानि पहुंची है लेकिन दिल्ली के अखबारों में निकला तेज आंधी और वर्षा, गर्मी से राहत। जो इतना नुकसान हो गया उसको कोई चिन्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनको गर्मी की चिन्ता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : दिल्ली के लोगों को उससे राहत मिली, तापमान कम हो गया—इस प्रकार से जो सोचने की एक दिशा है उसमें परिवर्तन आना चाहिए।

अभी रसीद मसूद जी ने चर्चा की थी कि भारी हानि हुई है। उन्होंने बताया कि जो फसल कटकर खलिहानों में आई है वह भी भीगी है और जो फसल खेतों में है उसको भी नुकसान पहुंचा है। ओले पड़ने से, जो फसल अभी खेतों में खड़ी है, पकी भी नहीं है उसको भी हानि हो गई है, उसमें बालियां टूट गई हैं। जो फसल तैयार थी कटने के लिए वह गेहूँ भी बिखर गया है। कहीं-कहीं ओले पड़ने से तो 50 परसेन्ट से भी कम फसल होने की सम्भावना रह गई है और यह फसल भी पानी से भीगी होगी और समय पर वह सूख भी जायेगी इसकी सम्भावना नहीं है। इस तरह से विलम्ब भी होगा और गेहूँ खराब भी हो जायेगा तो किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ सकती है जिससे किसानों को कितनी हानि होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते है।

अध्यक्ष जी, यह केवल उत्तर की ही बात नहीं है, बिहार में नालन्दा, पटना, गया, भोजपुर, रोहतास जिलों में भी फसलों को काफी हानि पहुंची है। गेहूं के अलावा आम की फसल भी बर्बाद हुई है और

(प्रो. अजीत मेहता)

सब्जियां बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। टिमाटर की फसल मारी गई है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप से जो फसलों को हानि होती है और किसान जो अपनी सारी पूंजी लगाकर खेती करता है वह उसकी सारी पूंजी गायब हो जाती है बल्कि उसका दिवाला निकलने की स्थिति हो जाती है। जब किसी कारखाने से दिवाला निकलने की स्थिति होती है तो सरकार उसकी मदद के लिए आती है। तरह-तरह की आर्थिक सहायता देकर उस कारखाने को बन्द होने से बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति आने पर भी किसानों को कोई राहत ठीक ढंग से नहीं मिल पाती है। इस का निदान यही है कि आप कृषि का व्यवसायीकरण करें। इस संबंध में मैं आपने पांच-सात प्रश्न करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनका उत्तर दें।

पहला—प्राकृतिक प्रकोपों से राहत और पुनर्वास के लिए सभी राज्यों में भरपूर स्थायी कोष का प्रावधान किया जाए—क्या आपका इस बारे में कोई विचार है ?

दूसरा—प्राकृतिक प्रकोपों में किसानों को लगान में काफी और फसल के लिए, लिए गए कर्ज में छूट तथा फसल का उचित मुआविजा देने की व्यवस्था होगी— इसके क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

तीसरा—इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपो की स्थिति में सहायतार्थ जो कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हैं, उनमें संशोधन कर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा ?

चौथा —किसानों को प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में दिवालिए पन से बचाने के लिए क्या फसल बीमा की योजना चालू की जाएगी ?

पांचवा — किसानों की सहायता के लिए एग्रो-मैटिरियो लाजिकल डिपार्टमेंट का कैसे उपयोग करेंगे और उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे— इसके बारे में आप बतायेंगे ?

छटा — फसल को आग से भी खतरा होता है, देहातों में आग से फसल को बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे ?

राव विरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सभी बातों का जवाब तकरीबन मैं पहले दे चुका हूं। मेहता जी ने फिर करीब-करीब वही सवालों को उठाया है, जो रशीद मसूद जी ने उठाए थे।

मैंने यह कभी नहीं कहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने मुख्य तौर पर यह कहा था कि यह कहा था कि यह जिम्मेदारी और यह काम राज्य सरकारों का है। हमारे यहां ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि नेचुरल कलेमिटीज से कहीं फसल बर्बाद हो जाए, तो उसके नुकसान का मुआवजा भारत सरकार की ओर से हो। मैं यह बार-बार बता चुका हूँ कि हमारा मकसद सहायता का यह होता हैं कि जब किसान नेचुरल कैलेमिटीज से भारी नुकसान उठाए तो उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के योग्य बनाया जाए। कर्जा और देकर, वसूली को मुलतबी करके, शार्ट टर्म लोन को मीडियन और लांगटर्म में तबदील करके, बीज वगैरह और खाद आदि के लिए सब्सिडी देकर, उसको सहायता दी जाए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्जा शार्ट टर्म को मीडियन और लांग टम में तबदील करके और वसूली को मुतलवी करके सहायता दी जाती है। वसूली के लिए अगले साल का प्रावधान कर देते हैं। इस साल नुकसान हुआ है और इस साल का कर्जा आप अगले साल वसूलते हैं और उस पर सूद भी लेते हैं। फायदा क्या हुआ ?

राव बीरेन्द्र सिंह: इसमें फायदा यह होता है कि एक दम देने के बजाय, तीन बरस में में दे।

प्रो. अजित कुमार मेहता : सूद तो उसका बढ़ता जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बोझ उसका बंट जाएगा। कमाएगा आगे और देगा।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : मंत्री जी कम से कम सूद की माफी होनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : बाज हालात में वह भी किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम होती है और कितनी सहायता स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, उसके हिसाब से।

प्रो. अजित कुमार मेहता : सूद कम कर दें तो यह भी एक बड़ी राहत हो जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बारबार मैंने बताया हैं कि इसका तरीका हैं और उस के मुताबिक दे रहे हैं। लेकिन फसल के नुकसान का मुआवजा न हम दे सकते हैं और न देते हैं।

दूसरी बात आपने मैटिरियोलांजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कही है। मैटिरियोलांजिकल डिपार्टमेंट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे है इसकी सुविधाओं को बड़ाने के लिए. इसका और विस्तार करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी इन्हीं की सेवाओं से काम लिया जाता है। आप को मालूम ही है कि बाकायदा आल इण्डिया रेडियो और टी.वी. के जरिये अगले 24 घण्टों के मौसम के बारे में बुलेटिन नश् किया जाता है। दोपहर और शाम को बुलेटिन ईशू होते हैं। जब मौसम खराब होता है तो स्पेशल बुलेटिन भी ईशू होते हैं। बारिश और आंधी का डर हुआ तो दिल्ली से भी 24 घण्टे पहले ब्राडकास्ट किया गया कि ऐसा डर है, ओले भीं पड़ सकते हैं, आंधी भी आ सकती है, थण्डर-स्टार्म भी आ सकता है — कुछ इलाकों में। यह ठीक है कि गांव-वाइज या डिस्ट्रिक्ट-वाइज नहीं बताया जाता है और इससे वह लाभ जो हम चाहते हैं वह किसानों को नहीं पहुंचता है। लेकिन इसके लिए आइन्दा हम महकमे को बढ़ा रहे हैं। मैट्रालांजिकल डिपार्टमेंट के इस साल के अन्त तक 17 केन्द्र ऐसे खुलेंगे जो किसानों की मदद के लिए होंगे, जो व्यौरा इकट्ठा करेंगे, उस को ब्राडकास्ट करेंगे और किसानों तक पहुंचायेंगे। मैंने आपसे पहले कहा है — हम एक आर्गेनाजेशन बनाने के लिये स्टेप ले रहे हैं, जो सारे देश का नक्शा बनायेंगे कि कौन-कौन से इलाके ऐसे हैं जहां साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं, बार-बार बाढ़ें आती हैं, कौन-कौन से इलाके है जो सूखे से तबाह होते हैं। उसी का एक हिस्सा यह होगा — मैट्रोलांजिकल डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा से ज्यादा सूचायें एग्रीकल्चर के लिए दी जा सकेंगी।

(श्री राव बीरेन्द्र सिंह)

हम यह भी कोशिश करते रहे हैं — जैसा आपने भी पूछा है कि किसानों से जानकारी हासिल की जाय कि उन को इस का क्या लाभ हुआ है । 1983 में एक सर्वे किया गया, जिस में 607 किसानों से पूछा गया-वे किसान अलग-अलग इलाकों के थे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश-उन को सवाल भेजे गये और उनसे पूछा गया कि जो मौसम के बारे में पेशन गोई होती है, क्या आप उस को सुनते हैं और उस का लाभ उठाते हैं ? अगर सुनते हैं तो उससे आप को कितना लाभ होता है ? यह बतलाते हुए मुझे काफी सन्तोष है कि जो शुब्हा आप ने जाहिर किया था कि मैट्रोलांजिकल डिपार्टमेंट की पेंशनगोई से कोई फायदा नहीं पहुंचता— ऐसी बात नहीं है, हमारे पास 56 प्रतिशत की तरफ से जवाब आया कि हम मौसम की पेंशसगोई सुनते हैं ... रेडियो और टेलीविजन से 42 प्रतिशत ने कहा कि हम सुनते ही नहीं है। उनको जबरदस्ती सुनाना सरकार के बस की बात नहीं है, कोई न सुनना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं । उनसे यह भी पूछा गया था कि तुम्हें इससे कुछ लाभ पहुंचा ? 56 प्रतिशत ने कहा कि हमें लाभ पहुंचा है, 22 प्रतिशत ने कहा है कि हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा । इस का मतलब है कि काफी लाभ पहुंचा है, कुछ को नहीं पहुंचा है। जिन को लाभ नहीं पहुंचा- हो सकता है उन्होंने कोई उपाय न किया हो या सुन कर भूल गये हों या जिन इलाकों के अन्दर ज्यादा तबाही हुई उन इलाकों के मुताल्लिक खास तौर पर मौसम की कोई खबर न दी जा सकी हो, क्योंकि अलग-अलग गांव या तहसील या जिला या सब-डिवीजन के लिये यह सुविधा नहीं है । इस तरह की सूचना के लिए काफी सोफेस्किेटेड इक्विपमेन्टस और बहुत बड़े महकमे की जरूरत है । हम उम्मीद करते हैं कि आइन्दा इस देश में ऐसा भी हो सकेगा ।

श्री रणवीर सिंह : स्पीकर साहब ने जो सुझाव दिया है उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने कैपिटल लैटर्स में उनको नोट कर लिया है ।

श्री रणवीर सिंह : आप कहते हैं - 56 परसेन्ट ने सुना और 42 परसेन्ट ने नहीं सुना । इस से तो हमें ऐसा लगता है कि जिस ने नहीं सुना, वही अच्छा रहा । आप कहते हैं ··· न किसी गांव के लिये, न किसी क्षेत्र के लिये बतला सकते हैं, पूरे हिन्दुस्तान के लिये बतला सकते हैं — इसके क्या मायने हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आप ने सुना होगा, रोजाना हर न्यूज के साथ यह बुलेटिन नश् होता है — अगले 24 घन्टे में मौसम कहां-कहां, किस-किस स्टेट में कैसा होगा ।

लेकिन यही नहीं कि खाली मौसम की पेंशनगोई कर दी जाए, तो किसान उसका लाभ उठा सकेगा । मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि किसान की अभी वह शक्ति नहीं है, वह इस लायक नहीं है कि उसको मालूम भी हो जाए कि मौसम इतना खराब होगा, साइक्लोन आएगा और ओले पड़ेंगे, तो उन ओलों से बचाव कर सके । उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं । मौसम का पता लगने पर भी किसान बच नहीं सकता और इसके लिए बहुत सारे उपाय और पैसे की जरूरत है । मेहता साहब को तस्सली

हो गई होगी, स्पीकर साहब, मैंने उनकी बातों का जवाब दे दिया है।

प्रो. अजित कुमार महता : मैंने फसल बीमा की बात उठाई थी, उसके बारे में नहीं बताया।

राव बीरेन्द्र सिंह : फसल बीमा की स्कीम लागू है लेकिन फसल बीमा होने से बहुत से किसानों को फायदा नहीं पहुंचता है। उस में कुछ फसलों के लिए बीमा होता है और कुछ फसलों के लिए नहीं होगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता : फसलों का अगर बीमा हो जाए, तो कुछ तो उसको मुआवजा मिल जाएगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन की तरफ से बीमा होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सहयोग देती है और स्टेट गवर्नमेंटस उन एरियाज को निर्धारित करती है जहां बीमा होता है। उसके बाद भी इस स्कीम के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनसे किसान स्ट्रेक्ट नहीं होता है। किसान अपने खेत का अलग-अलग से बीमा करा दे, तब तो उसको फायदा होता है लेकिन ब्लाक लेविल पर अगर बीमा होता है, तो जैसे ओले पड़े और सारे ब्लाक में एक या दो गांव में ओले पड़े तो उन एक दो गांवों को इन्शोरेंस से फायदा नहीं होगा क्योंकि पूरे ब्लाक के अन्दर एक या दो पर सेन्ट ही नुकसान होता हैं और सारा नुकसान नहीं होता है। इन तरह से उन किसानों को फायदा नहीं पहुंचता जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं और वे किसान फायदे से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इण्डिविजुअल किसानों के लिए यह कोई ज्यादा एट्रेक्टिव स्कीम नहीं है। इसके लिए हम बार-बार सोच रहे हैं कि क्या करें। लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं और दूसरे मुल्कों से भी मालूम कर रहे हैं कि उनके यहां इसके लिए क्या स्कीमें हैं, जिनको हम यहां लागू कर सकें। इसका हम पता कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई चीज ध्यान में नहीं आई है, जिसको हम लागू कर सकें और बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों को कवर कर सकें।

प्रो. अजित कुमार मेहता : जो वर्तमान कानून हैं, उनसे लोगों को बहुत कम राहत मिल रही है, इसके बारे में आपने नहीं बताया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने बार-बार हाऊस को बताया है और स्टेट गवर्नमेंटस को लिखा भी है। मैंने खुद चिट्ठी लिखी है कि जो फैमिन कोड है, उसको तरनीम किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय क्वान्ट आफ रिलीफ ज्यादा होना चाहिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : वे जल्दी जल्दी इसको करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने हाऊस को बार-बार लिखा है और उनको परसुयेड कर रहा हूं कि वे इसको एमेंड करें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): मौसम विज्ञान और इक्सेट की बात चल रही है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान तो क्या मौसम के बारे में सुनेगा जो आपका जिलाधिकारी है, वह भी इसको नहीं सुन पाता है कि कल मौसम के बारे

(श्री राजेश कुमार)

में क्या होने वाला है। आप केन्द्र बनाने की बात तो छोड़िए, मैं तो इतना ही कहता हूं कि जब इन्सेट से बुलेटिन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में वर्षा होगी या ओलावृष्टि होगी, तो वहां के जिलाधिकारी को सावधान कर दिया जाए कि वे ब्लाक के लेविल पर लोगों को सावधान कर दें लेकिन ऐसा नहीं होता है और यही नहीं मान्यवर, जिलाधिकारी को यह भी नहीं मालूम होता हैं कि कब ओले पड़ गये यह वास्तविकता है, जो मैं बता रहा हूं। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनकी जानकारी के अनुसार 1 मार्च से 18 अप्रैल तक की यह सूचना इनको मिली है और इससे यह पता चलता है कि ये कितने सक्रिय हैं, इसका विभाग कितना सक्रिय है, जो इतने समय तक की ही सूचना दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कितने भी सक्रिय हों, जब तक निराकरण के हमारे पास उपाय नहीं होंगे, तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। जब तक उसको रोकने की शक्ति नहीं होगी, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। हां, बिजाई के लिए फायदा हो सकता है और निकासी में कुछ फायदा होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं आपसे सहमत हूं लेकिन कुछ तो बचाव कर ही सकते हैं। मैं 23 अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि राज्यवार सूचना प्राप्त नहीं है। पंजाब में क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, इसका पूरा ब्यौरा आपके पास नहीं है। मैंने इस तरफ आपका ध्यान खींचा है। 1 मार्च से 18 अप्रैल तक की सूचना आपने पास है और बहुत से राज्यों ने आपको सूचना नहीं भेजी है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अखबार, रेडियों में नुकसान के समाचार आते हैं तो ये कहां से आते हैं। किस सोर्स से ये समाचार आते हैं। क्या इसके बाद केन्द्र सरकार कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करती है ? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेश की जानकारी के अनुसार उसने 99 हजार हैक्टर जमीन में कल्टीवेशन की बात की है। उसके अन्दर उसने कहा है कि 1.4 लाख टन का टारगेट था जो अब पूरा नहीं होगा। यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। आप कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है।

मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, चाहे गेहूं खलिहान में हो या खेत में हो वहां उसकी क्वालिटी में फर्क आया है। आप राज्य सरकारों को निर्देश दें कि उन खरीद केन्द्रों पर रियायत दी जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। जहां उसकी सुनहरी पन कमहुआ है या कहां घब्बा आ गया है। उसकी वाजिब कीमत दी जाए। अन्यथा वह गेहूँ कम कीमत पर किसान को बेचना होगा। इसमें छोटे किसान को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के निर्देशक राज्य सरकारों को अवश्य दिए जायें।

. मैं अपने आगरा जिले की बात बताना चाहता हूँ। वहां पर तो अभी बहुत से खरीद केन्द्र खोले ही नहीं गए हैं। कहीं खरीद शुरू नहीं हुई है। कहीं बोरियां पड़ी रह गई और पानी बरश गया। इस तरह की लापरवाही बरती गई। इससे किसानों को हानि होती है। इस बारे में भी राज्य सरकारों को निर्देश देने की आवश्यकता है

कि इस तरह की लापरवाही न बरती जाए।

एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि अधिकारी लोग कह देते हैं कि यहां स्थिति ठीक है। जबकि असलियत नहीं होती। नुकसान हुआ होता है। इस गड़बड़ा को दूर करने की आवश्यकता है।

बीमे की बात की गई। मेरी समझ में यह आता है कि हम अभी तक नेचर की बरसा पर जीवित हैं। किसान खास तौर पर। इन्डस्ट्रियलिस्ट नहीं। उसके यहां तो हर चीज का बीमा होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बात को तो स्पीकर साहब भी मानते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : इसलिए तो मैंने आपसे कहा है। अन्य किसी मंत्री से नहीं कहा है। क्योंकि आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। व्यवहारिक जीवन में आप इस बात को जानते हैं। इसलिए इस बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अब सब्जियों पर फंफूदा वगैरह लगेगी। लौकी, खरबूजा और जो बेलदार सब्जियां हैं, उनको नुकसान से बचने के लिए किसानों को फ्री कास्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश दिए जाए जहां पानी गिरा है वहां पत्तियां पीली हो जाएंगी। यमुना के किनारे पालेज की फसल को भी नुकसान हुआ है। सहारनपुर में और अन्य जगहों पर आम की फसल को नुकसान हुआ है। तो एक तो दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। दुसरा मुआवजे वगैरह की बात तो हम नहीं करेंगे लेकिन सरकार को अपने कानून में कुछ परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। इस देश में 80 फीसदी किसान हैं। क्या उनके लिए सरकार को कोई चिंता नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के नाते सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों को केलामिटीज की क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर पुनः विचार आठवां फाइनांस कमीशन करेगा। उनको सुझाव भी दिया है। सातवें फाइनेस कमीशन ने जो पैटर्न रिकमण्ड किया था, उसके मुताबिक सहायता दी जा सकती है। हम आशा रखते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो सकेगा। फ्री दवाइयां बांटने के लिए आदेश देना मेरे बस की बात नहीं है।

फाइनेंस बिल पर जब बहस हो रही थी। उस वक्त आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहिए था।...(**व्यवधान**) स्पीकर साहब, आप जानते है कि कलैक्टर कैसे मालूम करेगा कि कहां-कहां ओले पड़े उसके घर पर पड़ेगे तो उसको मालूम हो जाएगा। मेरे और आपके खेत में ओले पड़ेगे तो सूचना मिलने में टाईम लगेगा।..... (**व्यवधान**) कलैक्टर को हमारी इस्ट्रक्शन्स है कि हर वक्त वह इस बात का पता करता रहे कि उसके इलाके में कौन-कौन सी पीड़ा किसानों को हुई ? उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वह रिपोर्ट भेजता रहता है।

(**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : सहारनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ आदि जगहों में कितनी क्षति हुई है, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है ?

(श्री राजेन्द्रकुमार सिंह)

जानकारी होने के बाद भी आपका कलैक्टर कुछ नहीं करता।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्टेट गवर्नमेंट जब यह कहती है कि हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सहायता की जरूरत नहीं है तो क्या हम जबर्दस्ती सहायता दें ? क्या हम गलत रिपोर्ट उनसे लिखवाएं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ?...

(व्यवधान)

मैं, यह कैसे कहूं कि नुकसान हो या न हो, रिपोर्ट भेजो कि बहुत नुकसान हुआ। ...(व्यवधान) नुकसान के बारे में मेहता जी ने पूछा था, मैं पहले ही चुका हूँ। उन बातों का जवाब अब नहीं दे रहा हूँ, जो हो चुकी हैं। राज्यों के लिए हर साल बजट में मार्जिन मनी का प्रोविजन होता है। हर स्टेट के पास इतनी रकम होती है कि जब नुकसान होता है तो उसका इन्तजाम वह खुद कर लें। उनके पास इतनी मार्जिन मनी होती है, जिससे कि वह अपना इन्तजाम खुद कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्वान्टम पूरा हो, जिससे किसान दोबारा खड़ा हो जाए।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि बैठ जाऊं या आपको खड़ा करूं।... (व्यवधान) दीनबन्धु चौधरी छोटू राम अपने पैड पर एक शेर लिखा करते थे :

जिस खेत में से देहकान को,
मुयस्सर न हो रोजी।
उस खेत के हरखोशा-ए
गन्दुग को जला दो॥

कृषि मंत्री जी किसान, अध्यक्ष-किसान और मैं कुछ कम किसानों में से हूँ। असल में भारत किसानों का है और सब लोग किसान के गीत गाते हैं। दुर्भाग्य है कि बेचारा किसान अभी तक यह नहीं समझ सका कि भक्त और भाण्ड कौन है ? भांड भक्त और भाड में कोई फर्क नहीं मिल पाया है। किसान के हित की बात किए बगैर काम नहीं चला। हर आदमी उसके हक की बात करता है। अन्तर सिर्फ इतना है कि भांड भाट और भक्त कौन है ; ये तीनों रूप बदलकर आते है जिससे किसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे बड़ी तकलफ हुई जब राव बीरेन्द्र सिंह जी ने बयान दिया। इन्होंने ने कहा कि क्या हमारा सिर फिरा है कि स्टेट से कहें कि हमारे से मदद लो। अगर आपका सिर नहीं फिरा है तो अपने सिर को फिराओ। जिस स्टेट का किसान मर रहा है, उस सरकार के खिलाफ एक्शन न ले सकें। तो आपका क्या फायदा है ?

किसान की बात कहने का और भारत का कृषि मंत्री रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। यह क्या मजाक बना रखा है, आप क्या जबाब यहां देते हैं। हमारा सिर फिरा हुआ है। आपका सिर फिर जाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अपनी तरफ से आप कहानी बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बांगड़ी : यदि आप कहें कि हम क्यों जाएं, लेकिन आपको जरूरत है। क्योंकि यह देश बड़ा विचित्र हैं। उसका आपको भी पता है राव साहब,

लेकिन आपने दुपट्टा ऐसा ओढ़ा हुआ है कि आपको कुछ नजर नहीं आता। मैं तो विचित्र हूं, लेकिन इस देश में विचित्र थे गांधी जी, डाक्टर लोहिया, चौधरी छोटू राम, सरदार पटेल और डाक्टर अम्बेडकर : हमारे ऊपर तो इस राज का असर पड़ा है। ये लोग इस देश के कमाने वाले लोगों को पागल बनाने की ताकत रखते थे। लोगों को पागल बना देते थे। लेकिन यहां पर तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ चिट्ठियां आई हैं जिनमें मुझे कुछ व्यक्तियों ने बताया है कि उनके यहां जालावारी से नुकसान हुआ है, आप तहकीकात कर लीजिए, जहां 100 परसेंट नुकसान हुआ है। उन गांवों के नाम हैं — मौजगढ़ गिदडांवाली, खेंवाड़ी, दौलतपुरा, सईवाला कर्मपुरा, दलबीर खेड़ा। इनके अलावा क्या आपके रिवाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर आप किस को नुकसान समझते हैं। आप कहते हैं सिर्फ गुड़गांव के तीन गांवों में नुकसान हुआ, आपको जिद का ख्याल नहीं आता हरियाणा का पता करो, कहां-कहां नुकसान हुआ है। आप नुकसान की पहले परिभाषा बनाओ। क्यों कि ओलावृष्टि का नुकसान ही नहीं, कई दूसरी आपदाओं में भी किसान के परिवार का नुकसास होता है। किसान के कुनबे का मतलब है सारा परिवार और परिवार का है फैक्टरी। आपको हिन्दुस्तान के किसान को खेती को उद्योग मानकर चलना चाहिए। यदि आप किसी भी भोले-भाले किसान से पूछें कि राव साहब, चौधरी, पंडित जी, आपके कितने लड़के हैं, सरदार साहब आपके कितने मुण्डे हैं और क्या काम करते हैं तो कहेगा कि पहला लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, दसवीं जमात पास था इसलिए मैंने उसे पुलिस में लगा, दूसरा हट्टा-कट्टा था, उसे फौज में भिजवा दिया, तीसरा जरा चालाक और चुस्त था, थाने और तहसील की गवाही देता था, इसलिए मैंने उसे राजनीति में डाल दिया और चौथा, चूंकि वह पागल था, उसे कुछ आता नहीं था, इसलिए उसे मैंने खेती में लगा दिया। इसलिए खेती का धंधा आज महामूर्खों का धन्धा बन गया है, इस देश में। काश हमारा किसान आज भाट और भाण्ड के बीच के अन्तर को समझ सकता। हिन्दुस्तान का किसान यह समझ पाता कि मैं रोटी पैदा करता हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। उसमें कोई मजबूरी नहीं तो शायद अखबार वालों की कलम गर्मी से राहत महसूस करती क्योंकि एअर कण्डीशन वादे ही कुछ जुल्फें रखते हैं, कुछ लेलिन टाइप दाढ़ी रखते हैं, उनकी खुजलाहट में भी फर्क आ जाए। मंत्री और भंत्री दोनों में फर्क आ जाए। आप भी इसको समझ लेना, यह कोई मामूली बात नहीं है। राव साहब मैं आपको एक ही मिसाल देता हूं, कल यहां पर बन्धुआ मजदूरों की बात चल रही थी, यहां दस लाख आदमियों की रैली की, लेकिन हम सब और तनख्वाह लेने वाले लोग, चाहे हजार लेते हैं, 800 लेते हैं, 700 लेते हैं, हम सब उनके लिए हैं, इन्श्योरेंस वालों के लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी हैं, लेकिन वे गरीब हैं, दीन और दुखी हैं। यदि उनकी कोई बीस वर्ष की बेटी, चाहे वह किसी हरिजन की हो, किसी गिरिजन की हो, किसी जाट की हो, किसी ब्राह्मण की हो, किसी बनिये की हो या किसी हिन्दू या मुसलमान की हो, उसको पता नहीं होता, कड़कती धूप में पेट में 9 महीने का बच्चा लिए गेहूं की कटाई करती है। जब पांच के बी में कहे कि बापू पानी पी लूं, तो बापू कहता है कि नहीं बेटी पानी पीया करते, पाप लगता है। कौन से ग्रन्थ साहब या गीता या कोरान में

(श्री मनीराम बागड़ी)

लिखा है ? धर्म की भूंठी दुहाई देकर के गर्म के बच्चे को प्यासा रखकर अन्न को पैदा करते है, वह ओला, वारिश या तेज हवा का सामना कर के खेत में काम करते हैं और इस मुसीबत के बाद ,पैदा किए हुए गेहूं को बेचने के लिये दिल्ली की तरफ आ जाए, 170 रु. में गेहूँ बिकता है, फरीदाबाद से आगे गुजरा तो दिल्ली की पुलिस उसको पकड़ कर थाने में डाल दे और घर वाले बेचारे इंतजार करें कि दो पैसे कमाकर लाता होगा, यह कहां का न्याय है ? अगर किसान के दिमाग में आ जाए कि भांड और भाट कौन है, और मैं विचित्र अगर पागल हो जाऊं और गांधी, डा. लोहिया, या पगड़ी सन्भाल जट्टा वाली बात हो, या छोटूराम की बात हो तो एक क्षण भी आपका रहना यहां मुश्किल हो जाय।

आप बताओ कि ओलावृष्टि का मुआवजा देते हो कि नहीं, उसका हिसाब रखते हो कि नहीं ? पिछली बाढ़ में मदद दी उसका हिसाव रखते हो कि नहीं ? और आप कहते हो कि सरकारों को हमने दे रखा है, यह कोई मुगल दरबार हैं क्या जो आप अपने घर में देते हो और जिसको देते हो वह चाहे तो खर्च करे या खर्च न करें ? आपका फर्ज है, किसान मां के पेट से पैदा हुए हो जो एक-एक तिनका चुनती थी तो उसकी लाज के लिये कुछ काम करो। जो सरकार पैसे का सही उपयोग नहीं करती है, उसका इस्तेमाल नहीं करती हो उसका आप जबाव-तलब क्यों नहीं करते हो ? ऐसे मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री के खिलाफ अगर ऐक्शन नहीं ले सकते हो तो यह मजाक है।

अंग्रेजों के समय का बना हुआ जो फंमीन कोड है उसको बदलोगे कि नहीं। अंग्रेजी राज्य के बाद में जो पैदा और बूढ़े हो गए मरने को तैयार हैं लेकिन फंमीन कोड नहीं बदल सके। क्या आप गारण्टी दे सकते हो कि आप उस फंमीन कोड को बदलवा कर जाओगे ? एक, दो काम तो अच्छा करो। इस 5 साल के अन्दर क्या फंमीन कोड में सुधार करेंगे ? उस वक्त क्या भाव था ? उस वक्त आदमी गुलाम था, आज देश आजाद है, क्या आप इस फंमीन कोड को नया-नया सकोगे।

आपने कितना पैसा दिया और कितना खर्च किया इसका आपके पास हिसाब है कि नहीं ? अगर रखते हैं तो आप बतायें कि हरियाणा में पिछली दफा बाढ़ में जाला बारी में कितना खर्च हुआ, किन-किन चीजों का मुआबजा आप दे सकते हो। पहाड़ी सेवों के बाग उजड़ गये उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। हर चीज का आपको मुआवजा देना पड़ेगा। जो प्रकृति के काम की वजह से हुआ है चाहे वह बाग हो, फसल हो। आखिर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप मुआबजा देते हो कि नहीं ? आप कहते हो इश्योरेंस का कानून बनाया। यह दोष किसका है ? हमारा और आपका है। कोई जरूरत नहीं है इस किस्म का इंश्योरेंस का कानून बनायें जिसके मुताविक आरम्भ की चीजों का मुआवजा दिया जाय, जैसे मोटर, कार या बड़ी कम्पनियों की। आप ऐसा इंश्योरेंस बनाओ जो मालूम होना चाहिये कि चौधरी सुन्दर सिंह ने इतने सीधे-साधे खेती की है .. उसके मुआवजे में फीस मत लो, यह होना चाहिये। इसके लिये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर 15 दिन में बता देगा।

एक तरफ आप मेजें थपथपा रहे हैं कि राकेश शर्मा आंतरिक्ष में पहुंच गया, 70 करोड़ के देश में हम रूस के साथ अंतरिक्ष

में पहुंच गये हैं। एक राकेश ही दुनिया नहीं है। 70 करोड़ आदमियों का देश एक तरफ पाताल में जा रहा है, 69 करोड़ 99 लाख 99 हजार 9 सौ 99 नर्क में हैं और एक आकाश में पहुंच गया तो आपने थपथपा दिया, इससे देश बनने वाला नहीं है।

आप बतायें कि जालावारी के लिये कितना पैसा दिया है, किस हिसाब से देते हैं ? जालावारी एक, शीतलहर दो इनके लिये कितना पैसा दिया है। और जिसको जख्खड़ कहते हैं, जख्खड़ नाम तेज हवा चलने का है। यहां जख्खड़ का मतलब स्पीकर साहब से समझते हैं। स्पीकर साहब का नाम जाखड़ है जो कि गोत होता है।

जैसे बाग और दरख्तों की बात आती है। राव तुलाराम के वक्तों का जो बाग है, बाग वह नहीं जिसमें फल लगते हों, बल्कि आश्रम जो कि हजारों साल से बना है, उसमें जो नाश हुआ, क्षति हुई, दरख्त उखड़ गये, उसे क्या आप मामूली बात समझते हैं ? आप इन चीजों को बारीकियों के समझकर क्या उनके नुकसान की पूर्ति करेंगे ? सब नहीं तो थोड़ा बहुत एड देंगे ? ब्याज के नाम से तो राव साहब को चिढ़ होनी चाहिए थी। सूद किस बात का लेते हो ? देवसी में आपने इतना कर्जा कर दिया है कि वह लोग देने के काबिल नहीं है। सूद तो सूदखोर सरकार ले सकती हैं और वह अंग्रेज की सरकार थी। उस अंग्रेज की सरकार का सड़ा हुआ दिमाग अभी तक इस सरकार में है जो इतने मजलूमों, 10,10 रुपये कर्जे का सूद हरिजनों और किसानों से ले रही है। और करोड़पति सेठों से बात नहीं करती है।

मैं चाहूंगा कि सूद कतई न हो बल्कि सूद-कर्जा माफ हो, इमदाद हो और अकाल सहिता में संशोधन हो और उनको यथा शक्ति मुआवजा दिया जाये और किस तादाद में मुआवजा बाकी है, यह भी बतायें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, बागड़ी जी ने जो अपने ख्याल जाहिर किये हैं, उनकी मैं बड़ी कद्र करता हूँ, उनकी भावनाएं किसानों के लिये बहुत अच्छी हैं।

जहां तक किसानों की दयनीय अवस्था की बात उन्होंने कही, मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूं कि किसानों के लिये बहुत कुछ और होना चाहिए, लेकिन जो पोजीशन है, आज के दिन जितना कुछ हम अपनी रिमोर्सेज में कर पाते हैं, वह मैंने बार-बार बताया है। फसल के नुकसान का मुआवजा भारत सरकार की तरफ से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंटस बहुत हद तक कहीं-कहीं देती रही हैं, जहां कहीं उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन अच्छी होती है।

फंमिन कोड के लिये कुछ स्टेट्स अमैंडमेंट करती रही हैं वक्तन-फवक्तन जैसे हालात राज्य के होते हैं। हमने बार-बार लिखा है कि फंमिन कोड में तबदीली करो। जो तरीका है, सहायता देने का भारत सरकार की तरफ से, मैंने बताया कि सातवें फाइनेन्स कमीशन ने बनाया था। 8वां फाइनेन्स कमीशन बैठा हुआ है और हो सकता है कि इस तरीके में, जैसा आपने विचार व्यक्त किया, ऐसे ही विचार एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी हैं, दूसरे लोगों से भी उनको मिल रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ तबदीली हो जाये जो पैटर्न आफ एसिस्टेंस का है, लेकिन उसके लिये हमें इन्तार करनी पड़ेगी।

(श्री राव बीरेन्द्र सिंह)

बागड़ी जी ने कहा कि यह हमारा काम है कि सरकार ब्यौरा इकट्ठा करें, मैंने कभी यह नहीं कहा है कि यह हमारा काम नहीं है। हम चाहते हैं कि जहां कहीं ज्यादा नुकसान होता है, स्टेट्स बाकायदा खबरें देती रहें।

15.00 hrs.

जब आनरेबल मेम्बर्ज की तरफ से कोई बात उठाई जाती है, तो हम खास तौर पर भाग-दौड़ करके पता करते है कि कहां क्या नुकसान हुआ है और उसका उपाय भी करते हैं। जब हमें इस कालिंग एटेन्शन मोशन का नोटिस मिला, तो हमने खास तौर पर यह पता करने की कोशिश की कि किस स्टेट में क्या नुकसान हुआ है। लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नुकसान का सही अंदाजा न मिले, तब तक हम कुछ बताने में असमर्थ हैं।

मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो मार्जिन मनी स्टेटस के बजट में हर साल मुहैया होता है, उसका मकसद यह है कि जहां कहीं आपत्ति आए, नैचुरुल कैलेमिटी से तकलीफ हो, तो वे उस पैसे से फोरन राहत का काम शुरू कर दें। उसके लिए न हमें खबर देने और न हमारा ऐपरूवल लेने की जरूरत है। वह बाद में एजेस्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सी स्टेट्स से छोटे-छोटे नुकसान की खबरें हमारे पास नहीं आती। हम भी स्टेट्स का काम बढ़ाना नहीं चाहते। भारत सरकार हर बात में दखल नहीं देना चाहती। स्टेट गवर्नमेंट हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहती, मगर हम कहें कि वे हमें रिपोर्ट क्यों नहीं देतीं — अगर किसी एक गांव में ओलाबारी से 5 परसेंट नुकसान हुआ हो, तो वे भारत सरकार को इत्तिला दें, वे हर छोटे-छोटे नुकसान की भी रिपोर्ट दें, इसमें लाभ होने वाला नहीं है।

श्री बागड़ी ने पूछा है कि जो सहायता हम देते हैं, उसका हिसाब किस तरह रखा जाता है। जो नीति हम निर्धारित करते हैं, जिस काम के लिए हम पैसे की मंजूरी देते हैं, राज्य सरकार के महकमे उसके मुताबिक पैसा खर्च करते हैं और उसकी जांच फिनांस मिनिस्ट्री करती है। कितना खर्च किस स्टेट में हुआ, जिसमें हमारी एसिस्टैंस भी शामिल होती है, फिनांश मिनिस्ट्री उसका हिसाब-किताब देखती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मे वह हिसाब-किताब नहीं है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, पिछले दिनों पूरे उत्तर भारत में जो भारी वर्षा हुई है, आंधियां चली हैं, ओलावृष्टि हुई है, शीत लहर चली है, उससे शहरी लोगों को अस्थायी रूप से गर्मी से थोड़ी सी राहत भले हीं मिली हो, लेकिन इस देश के धरतीपुत्र किसान पर क्या बीती है, मैं समझता हूं कि इस सदन में जितने किसान सदस्य बैठे हैं, उन्हें इसका अन्दाजा अच्छी तरह से होगा।

हम एक कृषि प्रधान देश हैं, जहां करीब 80 प्रतिशत लोग कृषि पर, या किसानों पर निर्भर करते हैं। किसान हमारे देश का दर्पण है, आईना है, तस्वीर है, जिसकी हालत से पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। अगर किसान सुखी और खुशहाल होगा, तो पूरा देश सुख और खुशहाल होगा। यदि किसान किसी मुसीबत में फंस जाता है, किसी नैचरुल कैलेमिटी का शिकार हो जाता है, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है।

अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में जो भारी वर्षा और ओलावृटि हुई है, उससे किसान की खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। जो गेहूं कटकर खलीहानों में आ गई, उसको भी नुकसान हुआ और उसके अलावा दूसरी फसलों की भी काफी क्षति हुई है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हिमपात से सेव की फसल मारी गई है और मैदानी इलाकों में आम की फसल को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है।

जो नुकसान हुआ है, उस पर मुझसे पहले बोलने वाले मेरे साथियों ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। इसपर मैं सदन का बेश कीमती समय खराब नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अंदाजा लगा रही थी—और किसानों का भी यही अंदाजा था—कि इस साल गेहूं की बम्पर क्राप होगी गेहूं की काफी बीलड होगी, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में चलने वाली शीत लहर और फिर बरसात तथा ओलावृष्टि की वजह से वह बात आशा से परे हो गई है। जो खेत शीत लहर के शिकार हुए हैं, उनमें गेहूं के पौधे उगे हैं, बालियां भी आई हैं, लेकिन पकने पर उन बालियों में गेहूं का दाना नहीं पड़ा है और पूरा-पूरा भूसा बन गया है। इस वजह से गेहूं के उत्पादन की मात्रा भी बहुत कम हुई है। इसके अलावा जो भी बारिश हुई है उसके कारण खलिहानों में और खेतों में गेहूं सड़ गया है या काला पड़ गया है, उसकी क्वालिटी घटिया या रद्दी हो गई है जिसके कारण वह बाजार में बिकने काबिल नहीं है।

वैसे तो हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए बहुत कुछ किया है और कर रही है। सरकार ने जो गेहूं का मूल्य घोषित किया है 152 रुपये, इस वक्त स्थिति यह है कि सरकार के जो खरीद केन्द्र हैं उनकी समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और जो गेहूं काला पड़ गया है या सड़ गया है उस की कोई कीमत नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा क्योंकि उनके भी दिल में किसानों का दुख दर्द है और किसानों के प्रति उनकी क्या भावना है यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि किसानों का जो गेहूं खराब हो गया है उसके लिए वह घोषणा करें कि जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर वह उसे खरीद लेंगे और जो राज्य सरकारों की एजेंसियां गेहूँ का खरीद कर रही हैं उनके लिए भी इस तरह के आदेश सरकार को देने चाहिए ताकि किसानों को नुकसान न होने पाये।

इस बरसात, आंधी और शीत लहर से पूरे उत्तर भारत में क्या नुकसान हुआ होगा चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हों, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि दिल्ली प्रदेश में करीब 93 हजार हेक्टर भूमि पर खेती होती है और इस भारी वर्षा से उसमें 66 हजार हेक्टयर भूमि में फसलें नष्ट हो गई हैं और वहां पर पानी भर गया है जिससे काफी नुकसान हुआ है।

उत्तर भारत में आम काफी मात्रा से पैदा होता हैं और अच्छी किस्म का आम पैदा होता है। आम के बागान में करीब 70 प्रतिशत क्षति का अनुमान है। जो बागान के मालिक हैं या जो उसको खरीदते हैं उनकी जो लुटिया डूब रही है, यह सरकार के लिए विचारने का विषय है कि उनकी क्षति पूर्ति किस तरह से की जाय।

(श्री चन्द्रपाल सेनानी)

चन्द सवालात पूछ कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

1. भारी वर्षा ओला-वृष्टि तथा शीत लहर से पीड़ित किसानों का लगान, आव-पाशी तथा दूसरे ऋणों की अदायगी और रिकवरी को मुल्तवी करने के लिए राज्य सरकारों को क्या केन्द्र सरकार निर्देश देगी ?

2. किसानों का जो गेहूँ सड़ गया है या उनकी जो फसलें पूर्णतया अथवा 50 प्रतिशत तक नष्ट हो गई हैं, उनको कम्पेन्सेशन देने के लिए कोई कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

3. जो गेहूँ काला पड़ गया है और उसकी किस्म घटिया हो गयी है उसे सरकारी खरीद केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए आदेश दे दिए हैं अथवा नहीं ?

4. क्या किसानों को अगली फसल के लिए खाद बीज तथा कीटनाशक दवाएं आदि खरीदने के लिए ऋण तथा तकावी की विशेष व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी ?

5. आम के बागानों को 70 प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान है। सरकार इन बागानों के मालिकों को कितनी और किस प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रही है ?

इन सवालों का जवाब मन्त्री जी दें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा और देश के किसानों को भारी राहत पहुंचेगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : शैलानी जी ने जो बातें कहीं उनमें से बहुत सी बातों का उत्तर पहले दिया जा चुका है। फसल के नुकसान का मुआवजा देने के लिए हमारी कोई स्कीम नहीं है। बागान में भी जो नुकसान हुआ है आंधी और तूफान से अगर उसके लिए राज्य सरकारें कोई स्कीम बनाकर हमारे पास भेजेंगी कि किस तरह से राहत पहुंचाना चाहते हैं अगर कहीं पर नुकसान ज्यादा हुआ है तो हम उस पर विचार करेंगे। भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश या निर्देश राज्य सरकारों को देने का कि वह वसूली की मुल्तवी करें, सवाल पैदा नहीं होता यह काम राज्य सरकारों का है। हालात को देखते हुए राज्य सरकारें जहां भी जरूरी समझती हैं अपने आप रिकवरी मुल्तवी कर देती हैं और करती रही हैं जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ है। इसी तरह से जहां पर ज्यादा लोग पीड़ित हों वहां पर राज्य सरकारों को अपनी तरफ से यह करना पड़ता है और अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि वे भारत सरकार से सहायता की मांग भी करती हैं।

जहां गेहूं काला पड़ गया हो और उसकी खरीद का सवाल हो, इस सम्बन्ध में जो विचार माननीय सदस्य के हैं वह मैं अपने साथी मन्त्री, जो फूड एण्ड सिविल सप्लाइज के मन्त्री हैं, उन तक पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी निगाह में अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जिससे कि काफी तादाद में अनाज काल पड़ गया हो। अगर नहीं कला हुआ है तो नमी के बराबर है। इस बाहिश से एक परसेंट भी अनाज खराब होने का अन्दाजा नहीं है। मंडियों में भीगे हुए अनाज को खरीदने का सवाल तब पैदा होगा जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो जिसकी कि अभी सम्भावना नहीं है।

माननीय सदस्य का यह सन्दाजा भी गलत है कि हमने अनाज की पैदावार का जो तखमीना दिया हैं, उसमें इस बारिश की वजह से कमी होगी। हमारा अन्दाजा वही है, क्राप उसी तरह की है, भारी फसल पैदा होगी बल्कि हो सकता है हमने जो अन्दाजा पहले बताया था उससे भी पैदावार कुछ आगे बढ़ जाए।

———

15.11 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to protect archeological excavations in Vaishah Distt. of Bihar

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, बिहार प्रदेश के वैशाली जिला का बड़ा ही एतिहासिक महत्व है। वैशाली की बौद्ध अवशेष जो इतिहास की जो अमूल्य धरोहर है, कई कारणों से अपेक्षित दशा में पड़ी हैं।

मुझे आशंका है कि यदि पुरातत्व विभाग ने तुरन्त उस पर ध्यान नहीं दिया तो यह अमूल्य निधि हमेशा के लिए खो जा सकती है। डा. ए. एस. अल्तेकर द्वारा सन् 1958 में खुदाई के उपरांत वैशाली के निकट अभिशेष पुष्करणी के पास ग्राम चक्रमदास में मिट्टी के कलश में बौद्ध रेलिक्स पायी गई थीं। जब यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ तो पुरातत्व विभाग ने 9 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करके तारों की बाढ़ स्थापित कर दी लेकिन गत 28 वर्षों से इसके विकास के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न ही इस अवशेष के ऊपर कोई छत बनाया गया है। फलस्वरूप खुदाई के बाद यह स्थान अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस प्रकार किसानों को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ा, उसपर कुछ भी पैदावार नहीं हो रही है और यह जमीन बंजर की भांति बड़ी हुई है। यदि पुरातत्व विभाग द्वारा इसका विकास कर एक पर्यटन स्थल बना दिया जाता तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को दिल्ली के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में भी 3-4 सौ वर्षों से पड़े पुराने खंडहरों की तरफ ध्यान देना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की निशानी है। उपरोक्त बौद्ध अवशेष के लिए जो भूमि अर्जित की गई है, उसपर गांव वाले अवैध कब्जा करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और अवैध उत्खनन भी हो रहा है। सरकार अविलम्ब इस ओर ध्यान दे।

(ii) Need to regulate excessive use of toxic pesticides on vegetables

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara) : Excessive use of toxic pesticides is contaminating the vegetables and the foodstuffs beyond what is considered to be the safe level. This problem has assumed dangerous proportions. The latest issue of 'Yojana' published by the Planning Commission contains an articles which brings into sharp focus the havoc being caused to public health by the excessive use af poisonous agro-chemicals. According to the report, half of all samples of vegetables collected from markets in various parts of the country are heavily contaminated with pesticide residues.

It is reported that the average Indian's daily contains an alarmingly high 0.27 milligram of DDT which is several times higher than the safe level. Pesticides residue found in eggs, meat, fruit and milk in India exceed the tolerance limits recommended by the